# आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

## बी0एल0डी0आर0–वाद संख्या–332/22

## पारस राउत

## बनाम्

## राजेश कुमार एवं अन्य

## आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

| आदेश की क्रम–संख्या और तारीख | **आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर** | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ । |
|---|---|---|
| 08.05.2023 | यह बी0एल0डी0आर0 अपील वाद पारस राउत, पिता–मथुरा राउत ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चकिया, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या–53/2022–23 में दिनांक–12.11.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है। इस वाद का विवादित भूमि पूर्वी चम्पारण जिले के केसरिया थानान्तर्गत ग्राम–केसरिया का खाता संख्या–19, खेसरा संख्या–2610 में अवस्थित हैं जिसका रकवा 4.75 डी0 है।<br><br>अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। सरकार की ओर से उपस्थित सरकारी विद्वान अधिवक्ता ने बताया की प्रश्नगत मामला स्वत्व/हकियत से संबंधित है जिसका निराकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है।<br><br>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने तथा निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि | |

WEB COPY NOT OFFICIAL

प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी को प्रश्नगत् भूमि आपसी बंटवारा द्वारा हिस्से में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी दो भाईयों में छोटे है, अपीलाथी के बड़े भाई महावीर राउत की पत्नी मु0 अनारसी देवी के द्वारा अपीलार्थी के हिस्से की भूमि राजेश कुमार, पिता–महादेव राम के नाम से केवाला कर दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि से सम्बन्धित हकीकत एवं विभाजन का उल्लेख करते हुए दखल दिलाने का अनुरोध किया है जो इस न्यायालय में पोषनीय नहीं है। क्योंकि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009 के नियम 4 (3) *" सक्षम प्राधिकार को आवंटी/बंदोबस्तधारी या किसी रैयत के किन्ही नए अधिकरों, जो अब तक निर्धारित नहीं हुए हैं तथा जिन्हे अनुसूची–1 में शामिल किसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होना आवश्यक होता है, का न्याय निर्णय करने का अधिकार नहीं होगा।"* एवं (5) स्पष्ट रुप से अंकित है कि *"जहॉ कहीं भी सक्षम प्राधिकार को यह प्रतीत होता है कि उसके समक्ष दायर वाद में स्वत्व न्याय–निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है, वह कार्यवाही बंद कर देगा तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के समक्ष उपचारों की याचना के लिए स्वतंत्र होंगे।"*

निम्न न्यायालय ने भी अपने आदेश में यह अंकित करते हुए आदेश पारित किया है कि :–

*" प्रश्नगत भूमि गैरमजरुआ मालिक करके खतियान में दर्ज है। खेसरा संख्या–2610 का कुल रकवा 19 धुर दर्ज है। बकब्जे गोपाल वल्द दुखीत का मकान मय सहन अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर हाल सर्वे पूर्व से ही गोपाल हलखोर का आवासीय मकान था। गोपाल हलखोर अपने दो पुत्र को छोड़कर मर गये। दोनो पुत्र प्रश्नगत भूमि में आधा आधा बंटवारा कर लिया एवं आवासीय मकान बनाकर रहने लगे। महावीर राउत की पत्नी मु0*

WEB COPY NOT OFFICIAL

*अनारसी देवी ने अपने शौहर हिस्सा दिनांक–25.05.2022 को विपक्षी संख्या–01 को बिक्री कर दखल कब्जा दे दिया, जिसका जमाबंदी नं0–1249 भाग संख्या–03 पृष्ठ–916 विक्रेता के ससुर मथुरा राउत के नाम पर दर्ज है। इससे विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि का लगान विक्रेता के ससुर के नाम पूर्व से कायम है। आवेदक द्वारा अपने हिस्से का उल्लेख किया गया है। यह वाद पूर्ण रुप से विभाजन एवं हकियत से संबंधित है, जिसका निराकरण सक्षम न्यायालय के अंतर्गत ही संभव है।''* जो उचित एवं नियमानुकल है एवं उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद अधिग्रहण के बिन्दु पर ही अस्वीकृत करते हुए अपीलकर्ता को सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

*आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।*

**लेखापित एवं संशोधित**

**आयुक्त** **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL